

तीसरी अनुसूची  
[धारा 105(ii) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, शीर्ष सं० 11 और शीर्ष सं० 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

शीर्ष सं०	वस्तु का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
“11	लौह अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र	300 रु० प्रति टन
12	क्रोमियम अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र	2000 रु० प्रति टन ।”।